

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26774/2026**

सचिन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: शिवम वर्मा

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70**माननीय जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 82/2026, अंतर्गत धारा 326(जी) बी.एन.एस., थाना-रामचंद्र मिशन, जनपद-शाहजहांपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक निर्दोष है तथा अंतरस्थ हेतु वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक ने कथित अपराध नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रथम सूचनाकर्ता का सगा पुत्र है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी में वर्णित कथित घटना, वास्तव में कभी घटित ही नहीं हुई है। वास्तव में, कथित घटनास्थल पर, घटना के दिन एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप घर में आग लग गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे न्यायालय का ध्यान अनुलग्नक संख्या 5 की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें प्रथम सूचनाकर्ता ने स्वयं नोटरीकृत शपथपत्र के माध्यम से घटना के वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों को बताया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के कब्जे से अथवा उसकी निशानदेही पर कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा सामग्री बरामद नहीं हुई है। इस प्रकार, इस स्तर पर, अभिलेख पर ऐसा कोई विश्वसनीय अथवा ठोस साक्ष्य नहीं है, जो आवेदक को कथित अपराध के कारित किए जाने से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जोड़ सके। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 25.04.2026 से अभिरक्षा में है। यह भी आगे प्रस्तुत किया गया है कि, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा।

राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि जमानत निरस्तीकरण आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक प्रथम सूचनाकर्ता का पुत्र है तथा दिनांक 25.04.2026 से अभिरक्षा में है। बचाव पक्ष का कथन है कि प्राथमिकी में, वर्णित ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई तथा कथित घटनास्थल पर आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। विद्वान अधिवक्ता ने अनुलग्नक संख्या 5 पर भी भरोसा किया है, जिसमें प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा नोटरीकृत शपथपत्र के माध्यम से वास्तविक घटना की परिस्थितियों का खुलासा किया जाना बताया गया है। इस स्तर पर, अभिलेख पर ऐसी कोई विश्वसनीय अथवा ठोस सामग्री नहीं है, जो प्रथम दृष्टया कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता स्थापित करती हो। वर्तमान मामले को छोड़कर आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, कारावास की अवधि तथा मामले के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनाया है।

तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- सचिन, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, इस शर्त के अधीन कि वह:

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

अगस्त 10, 2026